मछली पालन को बढ़ावा देने को शुरू होगी 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना'

चर्चा में क्यों?

30 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना'को शुरू करने की मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि केंद्र सरकार की ओर से 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना'संचालित है। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के हिसाब से मत्स्य पालकों को कोई प्रोत्साहन सुविधा नहीं है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना'शुरू करने को मंज़ूरी दी है।
- इस योजना में मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिये तालाब, रेसवेज और अन्य बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये ऋण पर ब्याज दर में पाँच प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर में छूट दी जाएगी, जबकि दो प्रतिशत केंद्रीय योजना से मिलेगी।
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि पाँच साल होगी। इसमें चार हज़ार लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना में महिला समूहों को मछली पालन से जोड़ा जाएगा। साथ ही महिला समूहों को मछली पालन के लिये 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
- किसानों की तर्ज़ पर अब मत्स्य पालकों को भी बीमा की सुविधा मिलेगी। मत्स्य पालकों को एक लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। इसमें 90 प्रतिशत प्रीमियम प्रदेश सरकार देगी। प्रदेश में ही ट्राउट फिश का सीड तैयार किया जाएगा।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mukhyamantri-matsya-sampada-yojana